REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052021-227106 CG-DL-E-21052021-227106

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1821] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2021/वैशाख 31, 1943 No. 1821] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2021/VAISAKHA 31, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

का.आ. 1948(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र	. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
		संख्या	
((1)	(2)	(3)
6	604	150सी	रामपुर गांव (अक्कलकोट बाईपास) के पास रारा-150 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर महाराष्ट्र राज्य में दुधानी, कर्नाटक राज्य में डी. गंगापुर, जेवरी (टीपी), खानापुर, चिकसुगुर, बापुरम, तेलंगाना राज्य में आइज़ा, बुडामारसु बसवापुरम, दुपाडु को जोड़ने वाला और आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-40 और रारा-44 (करनूल) के इंटरसेक्शन के पास रारा-40 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और इसके बाद संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1494(अ), दिनांकित 7 फरवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

> [फा. सं. एनएच-14012/8/2021-पी एंड एम-पार्ट(2)] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2021

S.O. 1948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
604	150C	The highway starting from its junction with NH-150 near Rampur Village (Akkalkot Bypass) connecting Dudhani in the state of Maharashtra, D. Ganagapur, Jevari(Tp), Khanapur, Chiksugur, Bapuram in the state of Karnataka, Aiza, Budamarsu in the state of Telangana, Basavapuram, Dupadu and terminating at its junction with NH-40 near intersection of NH-40 and NH-44 (Kurnool) in the State of Andhra Pradesh.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1494 (E), dated 7th April, 2021.

[F. No. NH-14012/8/2021-P&M-Part(2)]

RAJESH GUPTA, Director